भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 2435**

**बुधवार, 08 अगस्त, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**एफडीआई नियमों का उल्लंघन**

**अता.प्र.सं. 2435. श्री संजय सिंहः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी भारतीय नियम उन ई-कॉमर्स कंपनियों में एफ डी आई को प्रतिबंधित करते हैं जो अपने इनवेंट्रीज को खुद प्रबंधित करती हैं और/या अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले उत्पादों की कीमतों को प्रभावित करती हैं;

(ख) हाल ही में वाल्मार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण तथा एफडीआई के अंतःप्रवाह के परिप्रे़क्ष्य में क्या वाल्मार्ट अपने इन्वेंट्रीज का प्रबंधन खुद करता रहा है और/या अपने 4 प्लेटफार्म पर बिकने वाले उत्पादों की कीमतों को प्रभावित करता है;

(ग) क्या सरकारी अभिकरणों ने एफडीआई नियमों के उल्लंघन के संबंध में फ्लिपकार्ट को निर्दोष घोषित किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार एफडीआई नियमों के इतने बडे़ पैमाने पर उल्लंघन की अनुमति कैसे दे सकती है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री सी.आर. चौधरी)**

**(क):** मौजूदा विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, ई-कॉमर्स संबंधी व्‍यवसाय से व्‍यवसाय (बी2बी) बाजार स्‍थल मॉडल के लिए स्‍वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है परंतु निम्‍नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर ई-कॉमर्स संबंधी वस्‍तु आधारित मॉडल में एफडीआई की अनुमति नहीं है:

i) एक विनिर्माता को ई-कॉमर्स खुदरा व्‍यापार के माध्‍यम से भारत में विनिर्मित अपने उत्‍पादों को बेचने की अनु‍मति है।

ii) ब्रिक एवं मोर्टार स्‍टोरों के माध्‍यम से प्रचालन करने वाली सिंगल ब्रांड खुदरा व्‍यापार कंपनी को ई-कॉमर्स के माध्‍यम से खुदरा व्‍यापार करने की अनुमति है।

iii) एक खाद्य उत्‍पाद खुदरा व्‍यापार कंपनी को भारत में विनिर्मित तथा/अथवा तैयार किए गए खाद्य उत्‍पादों के संबंध में ई-कॉमर्स माध्‍यम सहित खुदरा व्‍यापार करने की अनुमति है।

**(ख) से (घ):** एफडीआई नियमों के कथित उल्‍लंघन के लिए फ्लिपकार्ट के विरूद्ध प्राप्‍त अभ्‍यावेदनों को आवश्‍यक कार्रवाई के लिए सरकार के संबंधित निकायों को भेजा गया है।

\*\*\*\*\*